हमने पिछले अपडेट में बताया था कि सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर सभी ड्यू डेट को आगे कर दिया है। इसके लिए उन्होंने 168A में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटिफिकेशन no. 35/2020 dated 03.04.2020 जारी किया है। इस अपडेट में हमने यह भी बताया था कि यह प्रावधान कुछ सेक्शंस पर लागू नहीं होंगे ।इस अपडेट में हम उन प्रावधानों की चर्चा करेंगे जो कि इस प्रकार है:-

1. **Chapter IV के प्रावधान**- इन प्रावधानों में Time and value of supply के प्रावधान है। यह सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 15 तक है। जो कि बताते हैं कि सप्लाई का समय कौन सा होगा जैसे माल के संबंध में इनवॉइस जारी करने की तिथि अथवा जहां Bill जारी नहीं होता वहां पर भुगतान प्राप्त होने की तिथि। सेक्शन 15 बताता है कि सप्लाई की वैल्यू कैसे निर्धारित करनी है। इन सब पर 168A के प्रावधान लागू नहीं होंगे अर्थात यह प्रावधान अभी भी लागू रहेंगे।

2. **Section 10(3) के प्रावधान** - सेक्शन 10 composition scheme पर लागू होता है। यह प्रावधान कहता है कि अगर किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया है तो वह कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ जाएगा । इस प्रावधान की डेट भी एक्सटेंड नहीं की की गई है ।

3. **सेक्शन 25**- इसमें रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधान है । इन पर भी छूट नहीं मिलेगी तथा यह अभी भी लागू रहेंगे।

4. सेक्शन 27- इसमें casual taxable person, non resident taxable person से संबंधित प्रावधान है। इनको 168A के तहत लागू नहीं किया गया है तथा यह प्रावधान अभी भी लागू रहेंगे।

5.**सेक्शन 31**- ये टैक्स invoice से संबंधित प्रावधान अभी भी लागू रहेंगे अर्थात माल टैक्स इनवॉइस पर ही जा सकेगा।

6. सेक्शन 37- यह outward supply से संबंधित प्रावधान बताते हैं। GSTR- 1 में इनकी डिटेल जाती है क्योंकि इसकी लेट फीस खत्म कर दी गई है अतः इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया।

7.**सेक्शन 47**- लेट फीस लगाने के प्रावधान में अलग से छूट दी गई है अतः इसको 168A से अलग रखा गया है।

8.**सेक्शन 50**- ब्याज से संबंधित प्रावधान अलग से नोटिफाई किए गए हैं। 5 करोड से नीचे वालों को Gstr 3b रिटर्न पर interest की छूट दी है। अलग अलग ड्यू डेट तय की गई है तथा 5 करोड से ऊपर वालों को 15 दिन बाद 9 प्रतिशत ब्याज लगेगा। अतः इस प्रावधान को 168A से अलग रखा गया है।

9. **सेक्शन 69**-गिरफ्तार करने की शक्ति को भी अलग रखा गया है।

10.**सेक्शन 90**- फर्म की जगह पार्टनर को टैक्स जमा कराने के लिए प्रावधानों को भी अलग रखा गया है।

11.**सेक्शन 122**-पेनल्टी लगाने वाले प्रावधान भी 168A शामिल नहीं होंगे और अभी भी लागू रहेंगे।

12.**सेक्शन 129**- माल तथा वाहन को जप्त करने तथा मुक्त करने के प्रावधान भी लागू रहेंगे।

13.**सेक्शन 39**- इस सेक्शन में रिटर्न जमा करवाने होते हैं, इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है ।अतः इसको 168A से मुक्त रखा गया है । पर सब सेक्शन 3,4 तथा 5 इस पर लागू नहीं होंगे । 39(3) में टीडीएस का रिटर्न, 39(4) में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रिटर्न तथा 39(5) में नॉनरेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का रिटर्न है। इन सब की डेट 30.6.2020 कर दी गई है। इस पर हमसे कई सीए ने जवाब मांगा तथा यह स्पष्ट है कि इसकी तिथि भी आगे कर दी गई है।

14.**सेक्शन 68**- माल का इंस्पेक्शन जबकि वह रास्ते में है। यह प्रावधान तक 30.6.2020 लागू नहीं होंगे । पर यह सिर्फ e way bill से संबंधित ही होंगे अर्थात e way bill जारी करना आवश्यक होगा।

15. ऊपर लिखित प्रावधानों से संबंधित **रूल्स** भी 168A में सम्मिलित नहीं होंगे।

*This is solely for educational purpose.*

*You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.*